संख्या- 35/2024/001-2616114(1)/12-2099/117/2021

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या-11 की लेखाशीर्ष 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 27.79 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शो0एवंमृदा0सर्वे0/573/जैव कल्चर/वित्तीय स्वीकृति/2023-24, दिनॉक 23 नवम्बर, 2024 एवं पत्र संख्या-शो0एवंमृदा0सर्वे0/925/जैव कल्चर/वित्तीय स्वीकृति/2023-24, दिनॉक 12 मार्च, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा जथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-05-मृदा स्वाथ्य का सुदृढ़ीकरण योजना के मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1186.45 लाख के सापेक्ष रू0 27.79 लाख की उपलब्ध बचत से अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा जथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम के मानक मद-27-सब्सिडी में धनराशि रू0 27.79 लाख (रूपये सत्ताईस लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) वर्तमान में प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(7) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व आपके स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 27,79,000 (रूपये सत्ताईस लाख उनासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-35/2024/001-2616114(2)/12-2099/117/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, समस्त उप कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-2616114 2023 12-2099 117 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखाशीर्षक 2402 मृदा तथा जल संरक्षण -101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 27.79 लाख की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001020500 (मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	11,86,45,000 रुपये ग्यारह करोड़ छियासी लाख पैंतालीस हजार मात्र	40,02,000 रुपये चालीस लाख दो हजार मात्र	27,79,000 रुपये सताईस लाख उनासी हजार मात्र	11,58,66,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001010500 (जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम)	27 (सब्सिडी)	1,38,00,000 रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र	27,79,000 रुपये सताईस लाख उनासी हजार मात्र	1,65,79,000	2023-2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण योजनान्तर्गत निर्धारित मानदेय कार्मिकों की संख्या कम हो जाने के कारण

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय का कारण जैव कल्चर योजनान्तर्गत प्रविधान कम होने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-769 दि० 22-03-2024

संख्याः आर ई-८ > -2023-24, दिनांक- दिसंबर, 2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(अजय कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 22-03-2024 13:44:21
Reason: Approved

(रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।

संख्या- 2616114/2023/12-2099/117/2021, दिनांक- दिसंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0ए0म0-9 तीन प्रतियाँ में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

4/12/2023
Gunjan Dubey
4.12.2023

आज्ञा से,

(अजय कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।